न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 44/2018

अपीलार्थी–	बनाम	उत्तरदाता–
उतमदान पुत्र देसलदान जाति चारण निवासी गुमाने का तला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.02.2018 जो सरकार बनाम उतमदान के प्रकरण सं. 25/2018 मे जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री हसन खां, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. सरकारी पैरोकार, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 13/11/2019

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22 के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 25/2018 सरकार बनाम उतमदान मे पारित निर्णय दिनांक 26.02.2018 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रवर्तन निरीक्षक गिड़ा श्री खेमाराम द्वारा दिनांक 23.01.2018 को अपीलार्थी उतमदान की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान बंद पाई गई, मौके पर जांचे गए राशनकार्डों में अनियमित राशन वितरण की प्रविष्टि होना पाया, जनवरी 2018 मे पोश मशीन पर सत्यापन कर उपभोक्ताओं का राशन उपलब्ध नहीं करवाना, स्टॉक एवं मूल्य प्रदर्शन

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर बाड़मेर

नही करना एवं उचित मूल्य दुकान पर आवश्यक सूचना अंकित नहीं करने की अनियमितताऐं पाई गई। इस पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलार्थी का उचित मूल्य दुकानदार का अनुज्ञा पत्र आदेश दिनांक 26.02.2018 के द्वारा निलम्बित करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 13.03.2018 पर प्रकरण मे सुनवाई करते हुए अधिनस्थ अधिकारी जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2018 के द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.09.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए क्षमा करने एवं अपील अन्दर मयाद सम्मिलित करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये है। अपीलार्थी की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर उत्तरदाता को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय जारी कर अपीलार्थी के नाम ग्राम शहर हेतु जारी उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर प्रतिभूति राशि को जब्त करने मे विधि एवं तथ्यात्मक भूल की गई है, जिससे उक्त आदेश खारिज योग्य है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ अधिकारी द्वारा की गई जांच मे अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान से रसद सामग्री वितरण मे अनियमितता बाबत ग्रामवासियों से किसी प्रकार की कोई शिकायत नही थी तथा प्राधिकार पत्र जारी करने से लगातार उचित मूल्य दुकानदार के रूप मे कार्य सन्तोषप्रद रहा है। अपीलार्थी द्वारा नियमित रूप

जिला कलक्टर बाड़मेर

से उचित मूल्य की सामग्री का वितरण किया गया है, जिसका स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर इत्यादि पूर्ण है। उचित मूल्य दुकानदार के रूप मे अपीलार्थी की सेवा मे कभी कोई कमी नही रही है तथा प्राधिकार पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन नही किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक चौहटन द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट मे पाया गया कि मौके पर वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान पर अपीलार्थी हाजिर नहीं मिला जबकि निरीक्षण से पूर्व अपीलार्थी को कोई शिकायत जांच बाबत सूचना नहीं दी गई। अपीलार्थी वक्त निरीक्षण अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने हेतु बाहर गया हुआ था इसलिए उक्त अनियमितताऐं पाई गई है तथा इससे पूर्व ऐसी कोई अनियमितता अपीलार्थी द्वारा नहीं की गई है। अपीलार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी जिसकी प्रवर्तन निरीक्षक गिड़ा द्वारा की गई जांच में कोई रेकर्ड की कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी। इसके बावजूद भी अधिनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना राजनैतिक द्वैषता से कुछ विरोधियों द्वारा झूठी एवं मनगढ़त शिकायत पर अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसकी जानकारी होने से अन्दर मियाद यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए स्वाभाविक विलम्ब को क्षमा करते हुए अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

उत्तरदाता की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री के वितरण में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर प्रवर्तन निरीक्षक चौहटन द्वारा जांच की गई। वक्त निरीक्षण अपीलार्थी स्वंय मौके पर जानबूझकर उपस्थित नहीं हुआ। उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक रजिस्टर, बिल/वाउचर इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये। उपभोक्ताओं द्वारा मौके पर प्रस्तुत शिकायत दस्तावेजों यथा राशनकार्ड की जांच मे शिकायत की पुष्टि हुई है। इस पर विभागीय निर्देशों एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किये जाने से

अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर, कारण बताओं नोटिस जारी किया गया एवं अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब सन्तोषजनक नहीं पाये जाने पर प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर अधिनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण मे पाई गई गम्भीर अनियमितताऐं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के खण्ड 6 एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 11,14 एव 18 का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उसमे किसी प्रकार कोई विधि या तथ्य की भूल नही की गई है तथा इस आदेश के विरूद्ध यह प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलार्थी के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार के अभिकथनों मनन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को राशन सामग्री के वितरण में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर प्रवर्तन निरीक्षक चौहटन द्वारा मौके पर पहुंच कर शिकायतकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत राशनकार्डों की जांच की गई तथा मौके पर अपीलार्थी की दुकान बंद पाई गई। अपीलार्थी को अधिनस्थ कार्यालय की ओर से जारी प्राधिकार पत्र में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर प्रवर्तन निरीक्षक चौहटन द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने की अनुशंषा की गई। इस पर अधिनस्थ कार्यालय द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी द्वारा नोटिस का जवाब दिनांक 13.03.2018 को प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित किया कि वक्त निरीक्षण अपीलार्थी अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने हेतु गया हुआ था जिससे उचित मूल्य दुकान बंद पाई गई। अपीलार्थी को थोक विक्रेता द्वारा दिनांक 25.01.2018 को ही गेंहू उपलब्ध कराया गया था जो

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाडमेर

उपभोक्ताओं को वितरित कर दिया था। उचित मूल्य दुकान पर स्टॉक व मूल्य का प्रदर्शन नियमित रूप से किया जा रहा है। अपीलार्थी का जवाब संतोषजनक नहीं मानते हुए अधिनस्थ कार्यालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश पारित किया गया हैं। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ कार्यालय एवं इस न्यायालय के समक्ष वक्त निरीक्षण अपनी अनुपास्थिति का कारण अपनी बीमार पत्नी के इलाज हेतु बाहर होना बताया हैं किन्तु इसके समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है, इससे स्पष्ट हैं कि अपीलार्थी जानबूझकर अपनी अनियमितताऐं छिपाने के लिए वक्त निरीक्षण उपस्थित नहीं हुआ तथा न ही उसके द्वारा प्रस्तुत कारण संतोषजनक प्रतीत होता हैं। इस प्रकार अधिनस्थ कार्यालय एवं इस न्यायालय के समक्ष मनगढ़त तथ्य प्रस्तुत कर गुमराह करने का प्रयास किया गया हैं। वक्त निरीक्षण अपीलार्थी के द्वारा निरीक्षण अधिकारी को कोई लिखित सूचना दी गई हों, ऐसा भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। इसके अलावा अधिनस्थ कार्यालय द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निलम्बित व निरस्त करने के करीब चार माह बाद यह अपील प्रस्तुत की गई है, जिसका कोई ठोस कारण प्रकट नहीं किया गया हैं। ऐसे में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ ही मयाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेशण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने के साथ ही मयाद बाहर होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ कार्यालय जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2018 एवं 25.06.2018 यथावत बहाल रखे जाते हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 13.11.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Ansh

(अंशदीप)

जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2019.11.28 16:19:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: